तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वास्ते आदेश प्रा० पत्र 041 R5(2) CPC दिनांक 17/02/25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	
17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मूलवाद की जारी आदेश अन्तर्गत 07 R11 CPC का भी अवलोकन किया गया। 2. अधि० प्रार्थीगण ने बहस प्रा० पत्र 041 R5(2) CPC के दौरान प्रा० पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मूलवाद कालूलाल वगै० बनाम मंजू देवी वगै० में माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रा० पत्र अन्तर्गत 07 R11 CPC को स्वीकार कर वाद को इसी स्तर पर खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय के order दिनांक 24/01/25 के विरुद्ध प्रार्थीगण शीघ्र ही अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर देंगे अतः अपीलीय समय 01 माह तक माननीय न्यायालय के मूलवाद का दिये आदेश दिनांक 24/01/25 की पालना को स्थगित करने के आदेश जारी करें। 3. अधि० अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा मूल वाद स० 83/2020 कालूलाल वगै० बनाम मंजू देवी वगै० में कोई भी डिक्री (decree) जारी नहीं करे प्रा० पत्र 07 R11 cpc को स्वीकार कर [illegible] जारी किया गया था जबकि 041 R5(2) [illegible] अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किसी [illegible] डिक्री (decree) को [illegible] की पर्याप्त हेतुक (sufficient cause) [illegible] अपीलीय अवधि तक रोका जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रा० पत्र में कोई भी "संतोषजनक कारण" नहीं दिये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र 041 R5(2) cpc खारिज किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

4. बहस प्रार्थीपक्ष के परिप्रेक्ष्य में मूलवाद सं० 83/2020 में जारी आदेश अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 cpc दिनांक 24/01/25 का भी अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण में कोई decree जारी नहीं की गई, बल्कि order (O7 R11 CPC) जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा० पत्र O41 R5(2) cpc में order Dated 24/1/25 के execution को stay करने हेतु कोई भी कारण (cause/ Reason) अंकित नहीं किया है, केवल शीघ्र अपील पेश करने तक execution को stay करने का अंकन किया गया है। बिना किसी संतोषजनक कारण (sufficient cause) के न्यायालय के किसी भी order/decree के stay नहीं किया जा सकता है। यहां O41 R5(2) cpc के प्रावधानों का अवलोकन आवश्यक है:-

5(2): stay by court which passed the decree:-

"where an application is made for stay of execution of an appealable decree before expiration of the time allowed for appealing therefrom, the court which passed the decree may on sufficient cause being shown order the execution to be stayed."

उपनियम 5(2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि O41 R5(2) CPC का प्रा० पत्र केवल अपीलीय डिक्री (appealable decree) के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। हस्तगत प्रा० पत्र इस न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध नहीं, बल्कि आदेश अन्तर्गत O7 R11 r.w.s. 151 cpc Dated 24/01/25 के विरुद्ध पेश किया गया है, जो कि प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार O41 R5(2) cpc [illegible] में sufficient cause अंकित [illegible] प्रार्थीगण द्वारा कोई भी कारण (cause) [illegible] नहीं किया गया है।

5 आदेश 41 नियम 5(2) सीपीसी के प्रा० पत्र को adjudicate करने से पूर्व न्यायालय को O41 R5(3) cpc में दिये गये तीन बिन्दुओं (a), (b) व (c) के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 14:20:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे Satisfied होना आवश्यक है। अतः तीनों बिन्दुओं पर संतुष्ट हुए बिना, O41 R5(1) or O41 R5(2) CPC के अधीन कोई भी आदेश for stay of execution जारी नहीं किया जावेगा। जहां O41 R5(3) CPC के प्रावधान निम्नानुसार है :- 5(3): No order for execution shall be made under sub-rule (1) or sub rule (2) unless the Court making it is satisfied:— (a) that substantial loss may result to the party applying for stay of execution unless the order is made, (b) that the application has been made without unreasonable delay, and (c) that security has been given by the applicant for the due performance of such decree or order as may ultimately be binding upon him. 6. हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी देरी के यह प्रा० पत्र पेश कर दिया है परंतु आज दिनांक तक उक्त order dated 24/01/25 के due performance के लिए कोई भी security amount जमा (deposit) नहीं कराई गई है। security जमा कराने के सम्बंध मे कोई कथन तक नहीं किया गया है। केवल यह कथन किया है कि यदि order Dt 24/1/25 का execution नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को इसके विरुद्ध अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। प्रार्थीगण द्वारा उक्त order के execution stay नहीं करने पर होने वाले किसी प्रकार के substantial loss के बारे मे [illegible] पत्र मे अंकित किया और ना ही [illegible] कथन किया। अप्रार्थी/प्रति मजूं [illegible] द्वारा [illegible] कथशुदा [illegible] मे खातेदार कृषक [illegible] जिससे वह वर्तमान loss होना जाहिर नहीं होता है। [illegible] कोई substantial [illegible] व कब्जे यथावत चल रही है। शेष भूमि प्रार्थीगण के खाते	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	7. Sri S.R. Sanjeeva Murthy Vs. Akhila Karnataka Ladara Sangha (R) 2014 मामले मे माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, Narasimhaiah Vs. S. Lakshmanamurthy (deceased) 2018 मामले मे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, Daitary Nayak Vs. Srikanta Mahapatra 1991 मामले मे माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय, एवं Harish Premshankar Bhatt Vs. Kailashbhai K. Sabaria 2014 मामले मे माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का ससम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया।	
	8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र O.1 R.5(2) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
	उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिड़ावा जिला झालावाड़ (stamp) 17/2/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner